2023/250

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री मोहनलाल गहलोत
निवासी गोकुलवाडी गली नम्बर 2
शिवगंज तहसील शिवगंज
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका शिवगंज

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 59 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
30.10.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका शिवगंज को दिनांक 01.09.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि कस्बा शिवगंज में न्यू गोकुलवाडी में अपीलांट के मकान के लगती भूमि का श्री प्रकाश भाटी पुत्र केसाराम भाटी जाति माली निवासी गोकुलवाडी के नाम से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 69क के तहत जारी किए गए पट्टा संख्या 48 दिनांक 17.04.2023 की सम्पूर्ण पत्रावली मय आदेशिका व दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका शिवगंज को दिनांक 01.09.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि कस्बा शिवगंज में न्यू गोकुलवाडी में अपीलांट के मकान के लगती भूमि का श्री प्रकाश भाटी पुत्र केसाराम भाटी जाति माली निवासी गोकुलवाडी के नाम से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 69क के तहत जारी किए गए पट्टा संख्या 48 दिनांक 17.04.2023 की सम्पूर्ण पत्रावली मय आदेशिका व दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका शिवगंज से सम्बन्धित है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका शिवगंज के प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरोही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। Bullo (डॉ. भँवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner